निबंधन सं० पी० टी०–40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1925 (श०)

(सं० पटना, 194) पटना, सोमवार 28 अप्रील 2003

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

25 अप्रील 2003

सं० यो० एवं मो० 19–113/97–408–बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 115 (1) और (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, यथा :–

"बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003"

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(1) यह नियमावली "बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली, 2003" कहलायेगी ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत होगी जिस तिथि के पूर्व इसके प्रारुप का राजपत्र में प्रकाशन एक माहके लिए किया जा चुका हो ।

2. परिभाषाएँ

इस नियमावली में जबतक विषय या संदर्भ से अन्यथा कुछ न हो :–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998)

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा,

(ग) "प्रपत्र" से अभिप्रेत है इस नियमावली के परिशिष्ट का कोई प्रपत्र,

(घ) "प्रणाली स्तर समिति" (सिस्टम लेवल कमिटी) से अभिप्रेत है जल उपयोगकर्त्ता संघ की सबसे उपरी स्तर की समिति, जिसमें जल उपयोगकर्त्ता संघ को अंतरित नहर प्रणाली–यथा वितरिका/उपवितरिका/लघु वितरिका के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा ।

(ङ) "ग्राम स्तर समिति" से तात्पर्य है जल उपयोगकर्त्ता संघ की सबसे निचले स्तर की समिति जो जल उपयोगकर्त्ता संघ को सौंपी गयी नहर प्रणाली के सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम में, जल उपयोगकर्त्ता संघ द्वारा गठित की गयी हो ।

3. सिंचाई नियमावली

3.1 नहरों के संचालन के संबंध में सूचना :–

3.1.1 बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा–49 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा सम्यक् जाँच पड़ताल के बाद, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से गर्मा, खरीफ एवं रब्बी फसलों के लिए जलापूर्ति हेतु उन नहर प्रणालियों के संचालन की तिथियाँ, अवधि तथा उन क्षेत्रों, जिन्हें विभिन्न समयों पर जलापूर्ति की जायेगी, के संबंध में सूचना निर्गत की जायगी । यह सूचना नहर खेलने के कम से कम 21 दिन पहले जारी कर दी जायेगी । जब तक उत्तरवर्ती कोई परिवर्तन नही किया जाय तब तक इस सूचना में अंकित संचालन–कार्यक्रम लागू माने जायेंगे ।

3.1.2 नियम 3.1.1 में वर्णित विभिन्न फसलों के लिए नहरों में पानी छोड़ जाने की तिथियाँ तथा अवधि इस तरह निर्धारित की जायेगी कि गर्मा से लगातार खरीफ फसल तक जलापूर्ति किये जाने के पश्चात् तथा पुन: रब्बी फसल के पश्चात् आवश्यक होने पर, कम से कम एक-एक मास के लिए नहरें बंद रखी जा सकें ताकि उस अवधि में नहरों की मरम्मति तथा रख-रखाव किया जा सके ।

3.1.3 नियम 3.1.2 में वर्णित नहरों की बंदी की दोनों अवधियों का उपयोग करते हुए नहर प्रणालियों की आवश्यक मरम्मति तथा रख-रखाव के कार्य अथवा नहर के संचालन के लिए अन्य कार्य सभी औपचारिकताओं एवं विभागीय नियमों का निर्वहन करते हुए समय पर सम्पन्न करा लिये जायेंगे । मरम्मति की आवश्यकताओं में उन कार्यो को प्राथमिकता दी जायेगी जो पूर्ण जलापूर्ति तल (एफ.एस.एल.) से नीचे हो ताकि यदि कुछ उपरी कार्य किसी कारण से शेष भी रह जाय तो भी निर्धारित समय पर नहरों में पानी छोड़ा जा सके ।

3.1.4 नहरों के बंद होते ही सभी अतिवाही नियामकों (एस्केप रेगुलेटर) को खोलकर नहरों में बच रहा सारा जल यथासंभव निकाल दिया जायेगा । तत्पश्चात् प्रभारी कनीय अभियंता नहरों एवं संरचनाओं का निरीक्षण कर, जहाँ तुरत मरम्मति की आवश्यकता हो, उस पर अवर प्रमंडल पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करते हुए अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित करेंगे जो उन स्थलों का स्वयं निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन कार्यपालक अभियंता को भेजेगें । कार्यपालक अभियंता स्वयं इन स्थलों को देखकर निर्णय लेंगे कि उन स्थलों पर कितनी मरम्मति की आवश्यकता है । वे नियमानुकूल नहर के रख-रखाव संबंधी प्राक्कलन तैयार कराकर सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृत कराकर मरम्मति कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा के अंदर पूरा करायेंगे ।

खरीफ सिंचाई के बाद तैयार किये गये प्राक्कलन के आधार पर जो कार्य रब्बी सिंचाई के लिए नहर खोले जाने के पूर्व नहीं कराये जा सकेंगे, उन कार्यो को पूर्व तैयार प्राक्कलन के आधार पर ही रब्बी सिंचाई के बाद नहर बंदी की अवधि में पूरा करा लिया जायेगा । खरीफ सिंचाई के बाद तैयार किये गये प्राक्कलन की मान्यता रब्बी सिंचाई के बाद कराये जाने वाले कार्यो के लिए भी प्रभावी होगी।

3.2 जलापूर्ति :-

3.2.1 अवर प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रभारी कनीय अभियंता का यह विशेष दायित्व होगा कि वे नहर में पानी छोड़े जाने के पूर्व सभी बंधारों (वीयर्स) उप नालों और अतिवाही मुख्य जल-द्वारों (एस्केप हेड स्लूईस) तिर्यक नियामकों (क्रौस रेगूलेटर) और सभी निर्गम-द्वारों की आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर मरम्मति पूरी कर लें और उन्हें सभी तरह से पानी रोकने लायक बना लें ताकि कहीं भी पानी चूकर या रिसकर बर्बाद न हो । इसके अतिरिक्त प्रमुख प्रणाली, नहरों के पाटों और उपनालों के उपरी आयामों (रिचेज) को उराह कर, जहाँ जरूरत हो, सभी घास-पात और कीचड़-गाद आदि को भी निकाल दिया जायगा ताकि खेतों में खुल कर पानी जाने में कोई कठिनाई न हो ।

3.2.2 (क) बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 50 (1) के अध्यधीन प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा नहर के जल से सिंचाई किये जाने के प्रयोजनार्थ सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमांड-क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई योग्य कमांड-क्षेत्र की घोषणा अलग-अलग की जायेगी । सामान्यत: उन खेतों को सुनिश्चित सिंचाई-योग्य कमांड-क्षेत्र में शामिल किया जायगा जिसमें कम से कम गत पाँच वर्षो से लगातार सिंचाई जल दिया जाता रहा है। 'संभावित सिंचाई योग्य कमांड-क्षेत्र' से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसकी सिंचाई अनिश्चित हो पर उस अवधि के दौरान जल की उपलब्धता के अध्यधीन हो ।

(ख) धारा 50 की उपधारा (2) के अनुसार इस घोषणा का व्यापक प्रसार किया जायगा । इस सूचना में जमीन के मालिक का नाम, खाता एवं खेसरा संख्या अंकित रहेगा ।

(ग) यदि किसी जमीन-मालिक की जानकारी में खाता-खेसरा में कोई गलती पायी जाय तो वह उसकी परिशुद्धि के लिये संबंधित कनीय अभियंता के माध्यम से नहर पदाधिकारी की घोषणा के बाद एक सप्ताह के अन्दर, तत्संबंधी सूचना देगा ।

(घ) जमीन-मालिक के नाम, खाता एवं खेसरा में किसी भी तरह की अपत्ति होने पर नहर पदाधिकारी आवश्यक जाँच पड़ताल करेंगे और तत्संबंधी सूचना प्रमंडलीय पदाधिकारी को देंगे । प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी यदि सूचना में परिशुद्धिकरण की आवश्यकता समझेंगे तो तदनुकूल कार्रवाई करेंगे ।

(ड़) प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा घोषणा के बाद प्रत्येक गाँव के लिए ग्रामीण नक्शे (भिलेज मैप) पर सुनिश्चित सिंचाई-योग्य कमांड-क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई-योग्य कमांड-क्षेत्र को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार किया जायगा । बाद में उन घोषित क्षेत्रों में सरकारी अधिसूचना द्वारा कोई फेर बदल होने पर उक्त नक्शे में भी तत्संबंधी परिशुद्धि कर दी जायेगी ।

3.2.3 नहर पदाधिकारी सुनिश्चित सिंचाई-योग्य कमान-क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई-योग्य कमान-क्षेत्र की सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता का आकलन करेंगे । यह आकलन उस क्षेत्र की फसल प्रणाली की आवश्यकता एवं जल की सुसंगत सामयिक वितरण व्यवस्था पर आधारित होगा । इसके साथ ही नहरों की जल प्रवाह क्षमता को भी ध्यान में रखा जायगा । जल की आवश्यकता का आकलन कर नहर पदाधिकारी अपने अवर प्रमंडल के लिए जल का साप्ताहिक मांग-पत्र तैयार करेंगे ।

3.2.4 अपने अवर प्रमंडल के लिए जलापूर्ति का माँग-पत्र तैयार कर अवर प्रमंडल पदाधिकारी अपने प्रति-प्रवाह(अप स्ट्रीम) के प्रभारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी को देंगे । जलापूर्ति का माँग-पत्र प्राप्त करने वाले ये अवर प्रमंडल पदाधिकारी तब अपने कार्य क्षेत्र की जल की मांग संकलित कर और पहले अवर प्रमंडल पदाधिकारी के मांग-पत्र को जोड़कर फिर अपने प्रति-प्रवाह(अप स्ट्रीम) में पड़ने वाले दूसरे अवर प्रमंडल पदाधिकारी को दे देंगे । इस तरह अन्ततोगत्वा जलापूर्ति संबंधी मांग-पत्र शीर्ष कार्य के प्रभारी अवर प्रमंडल पदाधिकारी तक पहुँच जायगा । इस कम में प्रमंडल के अंतिम अवर प्रमंडल पदाधिकारी अपना मांग-पत्र अन्य प्रमंडल में भेजने के पूर्व अपने कार्यपालक अभियंता से मांग पत्र की समीक्षा कराकर ही उपर के अवर प्रमंडल पदाधिकारी को भेजेंगे । इस प्रकिया के सुचारू रूपें से संचालन में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की भूमिका यह होगी कि नहरों की क्षमता, सिंचाई की माँग, वर्षापात तथा अन्य क्षेत्रीय स्थिति के आलोक में वे मांग पत्र पर नियंत्रण रखेंगे और आवश्यक तकनीकी निदेश देंगे ।

3.2.5 एक साथ पर्याप्त जल उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में और जलोपयोग में मितव्ययिता के दृष्टिकोण से सिंचाई के लिए तातिल व्यवस्था का आयोजन किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में इसे ध्यान में रखकर ही तदनुकूल मांग-पत्र बनाया जायगा ।

3.2.6 प्रत्येक परियोजनावार नहर-प्रणाली के लिए एक संचालन संहिता (ओपेरेशन मैनुअल) तैयार की जायगी जिसमें और बातों के अतिरिक्त प्रत्येक अवर प्रमंडल द्वारा जल का मांग-पत्र प्रस्तुत करने के लिए एक दिन विशेष निश्चित किया जायगा । इसी तरह शीर्ष कार्य से जलस्राव के लिए भी एक विशेष दिवस निश्चित किया जायगा ताकि मांग पत्र के अनुसार वांछित स्थल पर वांछित समय में आवश्यक जल उपलब्ध हो जाय ।

3.2.7 जल का मांग-पत्र प्रत्येक सप्ताह भेजा जायगा किन्तु अधिक वर्षा या सूखे के कारण यदि पानी का इस बीच घटना-बढ़ना आवश्यक हो जाय तो आकस्मिक मांग-पत्र सीधे शीर्ष कार्य के प्रभारी अभियंता को द्रुतगामी पद्धति जैसे-बेतार, दूरभाष अथवा विशेष दूत द्वारा भेजा जा सकता है जिसपर शीर्ष कार्य के प्रभारी अभियंता तत्काल कार्रवाई करेंगे ओर सभी नियामक स्टेशन को तत्संबंधी सूचना देंगे ।

3.2.8 यदि नहर में किसी कारणवश मांग से कम जलस्राव आ रहा हो तो उसे विभिन्न वितरण प्रणालियों की आवश्यकताओं के अनुपात में बाँटा जा सकता है अथवा किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए नहर पदाधिकारी के विवेकानुसार वितरित किया जा सकता है । इसी तरह नहर में क्षमता से अधिक जलस्राव चले जाने पर अतिरेक जल को निकटतम अतिवाही नाले में प्रवाहित किया जायगा अथवा ऐसा संभव न होने पर विभिन्न नहर प्रणालियों की क्षमता के अनुपात में बाँट कर नियमन किया जायेगा और उसकी सूचना अनु-प्रवाह (डाउन स्ट्रीम) स्थित नियामक पर कार्यरत गेट चालक को पहले ही द्रुतगामी अथवा विशेष दूत द्वारा संवाद दे दिया जायेगा ।

3.2.9 किसी नहर/उप-नहर में से प्राप्त जलस्राव एवं उससे हो रहे सिंचाई की लेखा-जोखा की समीक्षा अधीक्षण अभियंता करेंगे ।

किसी क्षेत्र के सिंचाई में नहर से लिये गये कुल जलस्राव को ड्यूटी डेल्टा की गणना कर नहर जलस्राव की क्षति का आकलन करेंगे एवं इसके लिये अधीक्षण अभियंताओं के तकनीकी सलाहकार विशेष रूप से जिम्मेवार होंगे ।

3.3 नहर के निर्गम-द्वार खोलना:-

3.3.1 प्रशाखा पदाधिकारी, नहर पदाधिकारी के आदेश के अधीन, ग्राम-जल-सरणियों में जलापूर्ति को विनियमित करेंगें और सभी निर्गम-द्वारों के खोले और बंद किये जाने का पर्यवेक्षण करेंगें ।

3.3.2 (क) सभी संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों द्वारा उनके क्षेत्र में अवस्थित निर्गम-द्वारों की एक पंजी संधारित की जायगी जिसमें ग्राम-जल-सरणियों के नाम के साथ-साथ उस पर निर्गम-द्वारों की स्थिति अंकित रहेगी । इसके साथ ही ग्रामीण नक्शे (भिलेज मैप) पर इन निर्गम-द्वारों के कमांड-क्षेत्र दर्शाते हुए संधारित किये जायेंगे ।

(ख) नहर पदाधिकारी के लिखित आदेश के बिना प्रशाखा पदाधिकारी न तो विद्यमान निर्गम-द्वार को हटायेंगे, न उसमें फेर-बदल करेंगे और न ही कोई अतिरिक्त निर्गम-द्वार देंगें ।

(ग) नहर या प्रणाल को काटने, जल-प्रवाह में बाधा/परिवर्तन करने, निकास-द्वारों के स्थान या आकार-परिवर्तन का अधिकार सरकार का ही होगा और इस अधिकार का उपभोगकर्ताओं द्वारा किया गया अतिक्रमण बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 82 के तहत दंडनीय अपराध होगा ।

3.3.3 मानसून के मौसम में अचानक घनघोर वर्षा हो जाने के बाद नहर-जल का निबटाव एक समस्या बन जाया करती है, जब किसान फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिये निर्गम-द्वारों को बंद कर दिया करते है । ऐसी अवधि में प्रशाखा पदाधिकारी पानी निकाल देने और संबंधित शीर्ष नियामकों को बंद करने के लिए नहर पदाधिकारी से निदेश प्राप्त करके तुरत कार्यवाही करने में बहुत ही सावधानी और तत्परता बरतेंगे ।

3.3.4 सिंचाई के लिए नहरों मे जल प्राप्त होते ही नहर पदाधिकारी से निदेश प्राप्त कर प्रशाखा पदाधिकारी उन खेतों के लिए निर्गम-द्वारों को खोल देंगे जिन्हें नियम 3.2.2 के तहत सुनिश्चित सिंचाई योग्य कमान-क्षेत्र घोषित किया जा चुका हो ।

3.3.5 प्रशाखा पदाधिकारी सुनिश्चित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र के अर्न्तगत शामिल सभी खेतों को पानी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

3.3.6 इसी तरह जल उपलब्ध रहने तक संभावित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र के खेतों को भी जल उपलब्ध कराया जायगा ।

3.3.7 (क) सुनिश्चित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र एवं संभावित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र से बाहर की भूमि का भी कोई अधिभोगी यदि नहर से अपनी भूमि में जलापूर्ति का इच्छुक हो तो धारा 53 (3) के तहत विहित फारम-1 में उस आशय का एक लिखित आवेदन नहर पदाधिकारी को देगा जो जल उपलब्ध रहने पर आवेदनकर्ता को जल उपलब्ध करा सकेंगे ।

(ख) नहर पदाधिकारी यदि जल दे सकने की स्थिति में हों तो जलापूर्ति के इच्छुक आवेदनकर्ता को इस आशय की अनुमति फारम-3 के रूप में निर्गत करेंगे ।

3.3.8 कंडिका 3.3.6 एवं 3.3.7 के आवेदनकर्ताओं को जल उपलब्ध कराना अनिवार्य (मनडेटरी) नहीं होगा । जल की उपलब्धता के आधार पर हीं उन्हें जल उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

3.3.9 सिंचाई-अवधि में जल-वितरण पर निगरानी रखी जायगी तथा नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने पर ध्यान दिया जायगा । आवश्यक होने पर जल-वितरण की देख-रेख हेतु जाँच (पेट्रोलिंग) दल का गठन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता आवश्यकतानुसार करेंगे ।

3.4 पटवन-कर का निर्धारण एवं संग्रहण :-

3.4.1 सुनिश्चित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र के लिए नहर पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कनीय अभियंता द्वारा अमीन एवं मुहर्रिर की सहायता से स्थायी खतियान तैयार किया जायेगा जिसके आधार पर पटवन कर की वसूली की जायेगी । इस पर अधिभोगी कृषक का हस्ताक्षर कराया जायगा । प्रत्येक वर्ष अधिभोगियों की जमीन के हस्तान्तरण एवं कय-विकय के संबंध में आवश्यक जाँच कर खतियान को अद्यतन किया जायगा । हस्तान्तरण की सूचना नहर पदाधिकारी को देने का दायित्व विक्रेता/हस्तान्तरण कर्ता का होगा ।

3.4.2 कंडिका 3.3.6 एवं 3.3.7 में वर्णित अधिभोगियों की उस भूमि का सूदकार कराया जायगा जिन्हें जल उपलब्ध कराया गया हो । सिंचाई की एक आरम्भिक पंजी होगी जो पैट्रोल द्वारा तैयार की जायगी। इस पंजी में सिंचित क्षेत्र की मोटे तौर पर मापी, अधिभोगी का नाम एवं जल-प्रदान करने की तिथि अंकित की जायगी । पैट्रोल प्रति सप्ताह अपना प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी को भेजेगें जो उन्हें नहर पदाधिकारी को अपने प्रतिवेदन के साथ अग्रसारित करेंगे ।

3.4.3 पेट्रोल अनाधिकृत रूप से की जा रही सिंचाई की सूचना भी तुरत प्रशाखा पदाधिकारी को देंगे जो इसकी सूचना नहर पदाधिकारी को देंगें ।

3.4.4 सुनिश्चित सिंचाई कमान क्षेत्र के लिए मात्र खतियान के आधार पर मांग विवरण पर्चा तैयार की जायगी, परन्तु संभावित सिंचाई-कमान-क्षेत्र के लिए तथा अनधिकृत रूप से की जा रही सिंचाई के लिए सिंचाई के अंतिम चरण में सूदकार किये गए सिंचित क्षेत्र की मापी अमीन द्वारा की जायेगी । अमीन द्वारा सिंचित क्षेत्र की मापी करते समय पेट्रोल उपस्थित रहेगें जो तत्संबंधी जानकारी अमीन को उपलब्ध करायेंगे। अमीन द्वारा इस तरह खेसरा तैयार किया जायगा । इस खेसरा में पेट्रोल द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र अंकित किया जायगा कि सूदकार में अंकित सभी सिंचित क्षेत्र को खेसरा में शामिल कर लिया गया है । अमीन इस खेसरा में यह भी अंकित करेंगे कि किस खेत में कौन सी फसल उगायी गयी और उनकी स्थिति कैसी रही । इसपर अधिभोगी कृषक का हस्ताक्षर कराया जायगा । यदि किसी अधिभोगी द्वारा किसी खेत के संबंध में आपत्ति की जाय कि उसमें सिंचाई नहीं की गयी है तो अमीन उसका कारण अंकित करते हुए तत्संबंधी आपत्ति को भी अपने खेसरा में अंकित करें और इसकी सूचना नहर पदाधिकारी को देंगे । अमीन द्वारा तैयार किया गया यह खेसरा ही पटवनकर के निर्धारण का वास्तविक आधार माना जायेगा । साथ ही अनधिकृत रूप से सिंचाई करने वाले उपभोक्ता बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) की धारा 82 के अधीन दंड के भी भागी होंगे ।

3.4.5 अमीन खेसरा तैयार कर जिलादार/कनीय अभियंता के माध्यम से नहर पदाधिकारी को भेजेंगे ।

3.4.6 सूदकार कार्य एवं खेसरा पंजी की प्रविष्टियों के पर्यवेक्षण के लिए नहर पदाधिकारी, कनीय अभियंता/जिलादार क्रमश: 20 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत प्रविष्टियों की जाँच करेंगे ।

3.4.7 जांचोपरान्त नहर पदाधिकारी उस खेसरे को, जिलादार/कनीय अभियंता को खतियान तैयार करने हेतु पृष्ठांकित करेंगे ।

3.4.8 जिलादार/कनीय अभियंता जो नहर पदाधिकारी के अधीन कार्य करेंगे, नहर पदाधिकारी से खेसरे की जाँच का आदेश प्राप्त होने पर उसे गत वर्ष के खसरे तथा सर्वे खतियान से मिलान कर अधिभोगी कृषकवार मांग विवरण/ पर्चा बनायेगें । इस मांग-विवरण को समेकित कर बिरजी बनायी जायेगी जिसमें अधिभोगी-कृषकवार कुल क्षेत्र अंकित रहेगा । बिरजी से खतियान (मांग-विवरण सार) तैयार की जायगी जिसके द्वारा फसलवार एवं कृषकवार मांग तैयार की जायगी ।

3.4.9 खतियान पर जिलादार/कनीय अभियंता का हस्ताक्षर प्राप्त कर एवं उसपर अपना हस्ताक्षर कर नहर पदाधिकारी उसे प्रमंडलीय कार्यालय में भेज देंगे ।

3.4.10 (क) खतियान में अंकित मांग एवं सूदकार के क्षेत्र में अंतर होने पर प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी अपने नहर पदाधिकारी एवं उप-समाहर्ता (राजस्व) अथवा उनके द्वारा नामित समकक्ष अन्य पदाधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण में उसकी जाँच करायेंगे । संतुष्ट हो जाने पर वे खतियान पर अपना हस्ताक्षर कर उसे राजस्व, उप-समाहर्ता को राजस्व संग्रह हेतु अग्रसारित करेंगे और इसकी एक प्रति निदेशक, राजस्व प्रशासन को भी भेजेंगे ।

(ख) सामान्यत: खतियान भेजने की अंतिम तिथि निम्नांकित होगी :

खरीफ	- 30 नवम्बर तक
रब्बी	- 30 अप्रील तक
गरमा फसल	- 15 जून तक

3.4.11 उप-समाहर्ता, अंचल पदाधिकारी के माध्यम से, मांग-विवरणी को राजस्व निरीक्षकों को भेज देंगे । सिंचाई-राजस्व-निरीक्षक इन मांगों को कृषकों से कर-वसूली हेतु अनुरक्षित पंजी में अंकित कर संग्राहकों (वसूली कर्ताओं) को देंगे, जो इन्हें संबंधित कृषकों को हस्तगत कराकर पंजी पर उनका हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे । मांग-पत्र पर भुगतान की अंतिम तिथि एवं भुगतान का स्थान अंकित रहेगा । यह स्थान उप-समाहर्ता का कार्यालय/प्रखंड कार्यालय/अंचल कार्यालय में, जो उपयुक्त हो, रखा जा सकता है । भुगतान की अंतिम तिथि मांग-पत्र हस्तगत कराने के पन्द्रह दिनों के बाद होगी । संग्राहक मांग-पत्र हस्तगत कराते समय भुगतान की अंतिम तिथि मांग-पत्र पर अंकित करेंगे ।

3.4.12 सूदकार की जाँच की प्रकिया को अधीक्षण अभियंता सार्थक एवं ठोस स्वरूप प्रदान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी क्षेत्र, जहाँ सिंचाई हुई हो, सूदकार से बंचित न रह जाय । कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता निश्चित रूप से औचक निरीक्षण कर मानक रूप में सूदकार की जाँच कर लिया करेंगें ।

3.5 मांग की माफी और फेर-बदल

3.5.1 (क) धारा 54(2) के अधीन पनवट की माफी के लिए दावे विहित प्रपत्र में फसल कटने के कम से कम बीस दिन पहले या तो स्वयं अथवा निबंधित डांक से नहर पदाधिकारी के समक्ष पेश किए जायेंगे और जबतक ऐसे दावे के समर्थन में सरकारी प्रणाली द्वारा जलापूर्ति न होने के कारण हुई हानि का सबूत न दिया जाय तबतक उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा

(ख) जब संभावित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र में अथवा नहर पदाधिकारी द्वारा सिंचाई हेतु मंजूर क्षेत्र में ऐसी हानि का सबूत मिले तब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि हानि:-

(i) सामान्य पटाई गई फसल के मूल्य के दो तिहाई से अधिक है, तो ऐसे क्षेत्र का कुल पनवट माफ कर देंगें ।

(ii) ऐसे मूल्य के एक तिहाई से अधिक है और दो तिहाई से कम है तो आधा पनवट माफ कर देंगें ।

(ग) जब सुनिश्चित सिंचाई-योग्य-कमांड-क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र में ऐसी हानि का सबूत मिले, तब प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी -

(i) खरीफ फसल की दशा में वार्षिक कर निर्धारण का तीन-चौथाई माफ कर देंगे और जिस क्षेत्र में उक्त खरीफ फसल उपजाई गयी है उस क्षेत्र में बाद में उपजाई गई रब्बी फसल के संबंध में अलग से कोई कर-निर्धारण नही किया जायगा, यदि इसका समाधान हो जाय कि हानि पटाई गई फसल के सामान्य मूल्य के एक-तिहाई से अधिक है,

(ii) रब्बी तथा गर्मा की फसल की दशा में वार्षिक कर का एक-चौथाई माफ कर देंगे, अगर उनका यह समाधान हो जाय कि हानि पटाई गई फसल के सामान्य-मूल्य के एक तिहाई से अधिक है और जिस क्षेत्र में उक्त रब्बी फसल या गर्मा फसल उपजाई जाती है उसमें किसी खरीफ फसल की उपज नहीं हुई है ।

(घ) खंड (ख) एवं (ग) में उपबंधित स्थिति को छोड़कर धारा 54 (2) के अधीन कोई पनवट माफ नही किया जाएगा ।

3.5.2 (i) जलापूर्ति न होने के कारण पनवट में माफी के दावों को सत्यापित करने और दिये गये निस्सरण (डिस्चार्ज) की गणना के प्रयोजनार्थ, वितरिका, उपवितरिका या अन्य सरकारी जल-सरणियों पर किये गये जल-माप के अभिलेख को निश्चायक माना जाएगा ।

(ii) यथा संभव ऐसी जल-मापी सरकारी नहरों एवं ग्राम-जल-सरणियों के सभी नियंत्रण स्थलों पर की जायेगी ।

3.5.3 यदि प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी उचित समझें तो वह खरीफ मौसम में सिंचाई क्षेत्रों के अंदर पड़ने वाले किसी क्षेत्र पर निर्धारित पनवट में 10 प्रतिशत की माफी मंजूर कर सकेंगे, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि फसल बरबाद हुई है और वह औसत उपज के एक-चौथाई से अधिक नहीं है, भले ही ऐसी बरबादी सरकारी जल-सरणियों से होनेवाली जलापूर्ति में कमी से भिन्न कारणों से हुई हो ।

3.5.4 अधीक्षण अभियंता या प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित माफी-विवरण नहर उप समाहर्ता द्वारा रकम की वापसी के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा ।

3.5.5 नहर उप-समाहर्ता, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी से प्राप्त मांग-विवरण में वैसा फेर-बदल कर सकेंगे, जो मात्र लिपिकीय अथवा गणितीय भूल को ठीक करने के लिए आवश्यक हो । तत्पश्चात् इसकी सूचना प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को देंगे ।

3.5.6 बकाया पटवन-कर मांग माना जायगा - सरकार को देय पटवन-कर का हर बकाया और पटवन-कर की तहसील मद्धे किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को देय हर रकम तथा पटवन-कर मद्धे उस व्यक्ति को देय हर ऐसी रकम जो नहर पदाधिकारी द्वारा उस रूप में देय प्रमाणित हो, मांग मानी जायगी और नियमानुसार वसूल की जायेगी।

3.5.7 यदि बाकीदार के ऋण-दिवालिया होने या भाग जाने के कारण पटवन-कर के मद्धे देय किसी रकम की तहसील न हो सके, तो अधीक्षण अभियंता राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से देय रकम को अवसूलनीय रूप में अपलिखित कर सकेगें । इस प्रकार अपलिखित सभी रकमों की एक विस्तृत सूची राज्य सरकार के पास भेज दी जायेगी ।

3.5.8 बाढ़, पाला आदि, आँधी या किसी ऐसे ही असाधारण कारणों से फसल को हुई व्यापक क्षति के कारण पनवट की माफी केवल राज्य सरकार के विशेष आदेश से ही दी जायगी ।

3.6 जल उपयोग-कर्ता-संघ को नहर प्रणालियों का प्रबंधन सौपने के संबंध में :-

3.6.1 (क) सरकार की ओर से (आन बिहाफ आफ दी गोभरमेंट) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, एक नियत अवधि के लिए, नहर प्रणालियों का प्रबंधन (अनुरक्षण, प्रचालन, जल-प्रभार निर्धारण एवं वसूली) विहित फारम-5 में आवेदन करने वाले उस जल उपयोगकर्ता संघ को अन्तरित कर सकेगा, जिसे विभाग इस हेतु सक्षम समझे एवं इस हेतु विभाग फारम-6 के रूप में अनुमति दे सकेगा ।

(ख) जल संसाधन विभाग सक्षम संघ के साथ विहित फारम-7 में वचनबंध ज्ञापन हस्ताक्षर करेगा ।

3.6.2 मांग-पर्चा तैयार करने हेतु नहर पदाधिकारी, प्रणाली स्तर समिति को प्रधिकृत करेंगे एवं प्रणाली स्तर समिति, ग्राम स्तर समिति के माध्यम से यह कार्य सम्पादित करायेगी । नहर पदाधिकारी को प्रणाली स्तर या ग्राम स्तर समिति की पंजी एवं उसमें दर्ज की गई सूचनाओं को राजस्व की मांग तथा वसूली के लिए सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु सिंचन क्षेत्र की जाँच, जल-प्रभार-मांग एवं वसूली पंजी का निरीक्षण समय-समय पर करने का अधिकार नहर पदाधिकारी को रहेगा ।

3.6.3 ऐसी अवस्था में जहाँ सिंचाई पंजी के अनुसार खेत में जलापूर्ति की गयी हो लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण फसल नष्ट हो गयी हो, वहाँ प्रणाली स्तर समिति का सचिव राजस्व की मांग को निरस्त करने के लिए स्वयं अथवा निबंधित डांक से, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को फसल काटे जाने के कम से कम 20 दिन पहले ही आवेदन देंगे और प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी नियम के अनुसार इसकी जाँच कर निर्णय लेंगे ।

3.6.4 प्रमंडलीय नहर समिति एक पंजी संधारित करेगी जिसमें प्रत्येक किसान के सभी सिंचित होने वाले क्षेत्र का पूर्ण ब्योरा रहेगा कि किस प्लाट में कितनी बार सिंचाई हुई है, साथ ही सिंचित क्षेत्र के जल-प्रभार की राशि तथा किसानों द्वारा भुगतान की गई जल-प्रभार की राशि एवं रसीद संख्या का विवरण भी पंजी में अंकित किया जायेगा ।

3.6.5 प्रत्येक ग्राम-समिति द्वारा भी कंडिका 3.6.4 में वर्णित पंजी संधारित की जायगी ।

3.6.6 (क) प्रत्येक सिंचाई के बाद उपर वर्णित अभिलेख के अनुसार स्वीकृत दर पर राजस्व की मांग प्रणाली-स्तर-समिति द्वारा निर्धारित की जायगी तथा इसकी सूचना प्रत्येक किसान को दी जायगी । प्रभावित कृषक, ग्राम-समिति के अभिलेखों को ग्रामीण-समिति के किसी सदस्य के साथ देखने और समझने का अधिकारी होगा ।

(ख) संबंधित किसान उक्त सूचना प्राप्त होने पर, इस निमित प्रणाली-स्तर-समिति द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रणाली-स्तर-समिति को, मांग का भुगतान करने का दायी होगा ।

(ग) जल-प्रभार-माँग की वसूली के समय कृषकों को दी जाने वाली रसीद-बही वही होगी जो राज्य में आम कृषकों को दिया जाता है । उक्त रसीद पुस्तिका जल संसाधन विभाग की राजस्व शाखा से नहर पदाधिकारी के माध्यम से कृषक समिति के सचिव को निर्गत की जायगी ।

3.6.7 अगर कोई किसान समय पर राजस्व की उक्त राशि का भुगतान, प्रणाली-स्तर-समिति को नहीं करता है तो प्रणाली-स्तर-समिति को यह अधिकार रहेगा कि वह अगले फसल चक्र में ऐसे किसान को पानी नहीं दे एवं वसूली हेतु नियम के अनुसार कार्रवाई करे । इस संबंध में जल संसाधन विभाग जल उपभोक्ता संगठन को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

3.6.8 फेर-बदल एवं छूट (अल्टरेशन एवं रेमिशन) संबंधी सभी मामलों को ग्राम-स्तर-समिति अपने स्तर से जाँच कर प्रणाली-स्तर-समिति के पास भेजेगी जिसपर अंतिम निर्णय प्रणाली-स्तर-समिति का होगा । यह फेर -बदल एवं छूट सिर्फ पटवन संबंधी मामलों के लिए ही लागू होगा एवं अन्य मामलों में विधि-सम्मत दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) ही वैध होगा । इन मामलों के लिए भी अलग से एक पंजी रखी जायगी ।

3.6.9 (क) नहर प्रणाली के अन्तरण के ठीक पहले के तीन खरीफ एवं रब्बी मौसम के औसत प्रतिवेदित सिंचित क्षेत्र पर जल-प्रभार की राशि का निर्धारण प्रथम पाँच वर्षो के लिए किया जायगा, जिसकी सहमति-ज्ञापन में यथा-निर्धारित अंश राशि, प्रणाली-स्तर-समिति सरकार के पास जमा करेगी एवं शेष राशि, समिति अपने पास रख लेगी, जिसे नहर के अनुरक्षण प्रचालन एवं इसके विकास पर व्यय करेगी।

(ख) हर वर्ष, प्रणाली-नहर-समिति द्वारा, खरीफ पटवन की उक्त अंश राशि 31 मार्च के पहले एवं रब्बी पटवन की उक्त अंश राशि 30 जून के पहले, सरकार के कोषागार में यथा विहित तरीके से जमा कर दी जायगी एवं एतद् संबंधी सूचना प्रमंडलीय-नहर-पदाधिकारी को दे दी जायेगी ।

(ग) प्रत्येक पाँच वर्षो में इस औसत सिंचित क्षेत्र पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जायगा एवं औसत सिंचित क्षेत्र के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

3.6.10 सरकार को देय जल-प्रभार की अंश राशि अगर प्रणाली-नहर-समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर सरकारी कोषागार में जमा नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में अगले मौसम में पानी बंद कर दिया जाएगा एवं नियमानुसार वसूली की कार्रवाई की जायगी ।

3.6.11 नहर के चाट से, नहर के रख-रखाव के लिए मिट्टी लेने का अधिकार समिति को रहेगा परन्तु इसकी बन्दोवस्ती एवं राजस्व वसूली का अधिकार सरकार को पूर्ववत रहेगा ।

3.6.12 जल उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर-प्रणाली का प्रबंधन, जल-उपयोगकर्ता संघ की सहमति से तैयार किये गये सहमति-ज्ञापन के प्रावधानों के अनुरूप विनियमित (रेगुलेटेड) होगा ।

3.6.13 जल उपयोगकर्ता संघ अंतरित नहर-प्रणाली के अधीन तर्क संगत एवं प्रभावी नहर-संचालन-योजना तय करेगा एवं उसे लागू करेगा, जिससे कमांड-क्षेत्र के प्रत्येक भाग में साम्यापूर्ण (इक्यीटेवल) ढंग से, सिंचाई का पानी उपलब्ध हो सके ।

3.6.14 अगर कोई व्यक्ति जल-उपयोगकर्ता संघ को अंतरित नहर-प्रणाली में किसी तरह की क्षति पहुँचाता है, जल प्रवाह में बाधा डालता है, नहर पर अतिक्रमण करता है, कार्यो में रूकावट डालता है या अन्य किसी तरह की क्षति या नियमों का उल्लंघन करता है, तो जल-उपयोगकर्ता संघ इन व्यक्तियों के विरूद्ध बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम -11, 1998) के प्रावधानों के अधीन कार्रवाई कर सकेगा एवं इस हेतु जल-उपयोगकर्ता संघ की अधिकारिता के अधीन, जल-उपयोगकर्ता संघ को प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के आदेशाधीन उसकी ओर से कार्य करने वाला एक अभिकरण (ऐजेन्सी) माना जायगा एवं संघ तदनुसार कार्य करेगा ।

3.7 प्रकीर्णः-

3.7.1 कोई व्यक्ति, मनाही हो जाने के बाद आर-पार आने-जाने के प्रयोजनार्थ उपबंधित पुलों, सीढ़ीदार तटों, छिछले घाटों और नौ-घाटों तथा उसके रास्तों को छोड़कर, किसी सिंचाई संकर्म या जल निकास निर्माण की किसी संरचना के तट या प्रणाली से होकर कोई गाड़ी या वाहन नहीं गुजारेगा जबतक कि उसे नहर पदाधिकारी द्वारा इसके लिए लिखित परमिट नहीं दिया गया हो ।

3.7.2 जबतक राज्य सरकार इसे नियम विशेष रूप में विमुक्त न करे, तबतक किसी नहर में नियोजित कोई पदाधिकारी या लिपिक या कर्मचारी नहर के किसी प्रणाल से जल-वितरण में कोई हित न रखेगा या वहाँ पर बेची गई कोई सरकारी सम्पत्ति अपने नाम से अथवा अन्य व्यक्ति के नाम से या संयुक्त रूप से या दूसरे व्यक्ति की साझेदारी में न खरीदेगा अथवा न उसपर डाक बोलेगा और ऐसा कोई पदाधिकारी या लिपिक या कर्मचारी अधीक्षण अभियंता अथवा स्वतंत्र प्रमंडल की दशा में मुख्य अभियंता की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, नहर से जल पाने वाले या पा सकने वाले किसी क्षेत्र के भीतर कोई जमीन न खरीदेगा या न पट्ट पर लेगा ।

3.7.3 इस नियमावली में और बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम 11, 1998) में यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर, नहर पदाधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश के विरूद्ध तब तक कोई अपील नहीं की जाएगी जब तक कि अनुमंडलीय नहर पदाधिकारी, प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या अधीक्षण अभियंता के अनुवर्ती आदेश के अनुसार, अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित न कर दें और प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी या नहर उप-समाहर्ता, अधीक्षण अभियंता या स्वतंत्र प्रमंडल की दशा में, मुख्य अभियंता के अनुवर्ती आदेश के अनुसार अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को परिवर्तित न कर दें ।

3.7.4 मुख्य अभियंता नहरों की सिंचाई और राजस्व कार्यों के प्रभारी सभी पदाधिकारियों की कार्रवाई पर सामान्य नियंत्रण रखेगें ।

3.7.5 सिंचाई कार्यो में संलग्न प्रत्येक मुख्य अभियंता के क्षेत्र में एक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे जिनके द्वारा बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 (बिहार अधिनियम -11, 1998) के प्रावधानों के अनुसार किसी अपराध का संज्ञान त्वरित गति से लिया जायगा एवं मामलों का शीघ्र निवटाव किया जायगा ।

3.7.6 सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति ।

सिंचाई से भिन्न प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले जल की आपूर्ति नहर पदाधिकारी, बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 (बिहार अधिनियम-11, 1998) की धारा 57 के अधीन कर सकेंगे एवं इस नियमावली के अधीन फारम-4 के रूप में परमिट जारी कर सकेंगे ।

3.7.6.1 इस प्रयोजन के लिए इच्छुक व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह/प्रतिष्ठान द्वारा फारम-2 में अपना आवेदन पत्र संबंधित नहर पदाधिकारी को दिया जायेगा ।

3.7.6.2 नहर पदाधिकारी अपने क्षेत्र में प्राप्त आवेदन पत्रों का समेकित सार तैयार कर उसे अपनी अनुशंसा के साथ प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी को समर्पित करेंगे जो इन आवेदन पत्रों एवं नहर पदाधिकारी की अनुशंसा को अपने मन्तव्य के साथ अधीक्षण अभियंता के माध्यम से मुख्य अभियंता को समर्पित करेंगे । मुख्य अभियंता जल की उपलब्धता तथा सुनिश्चितता के आधार पर विभाग से अनुमति प्राप्त कर सम्बन्धित नहर पदाधिकारी को जलापूर्ति हेतु फारम-4 में परमिट निर्गत करने का आदेश अधीक्षण अभियंता के माध्यम से प्राप्त करायेंगे ।

3.7.6.3 मुख्य अभियंता के आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्ति समूह/संस्थान को जलापूर्ति हेतु प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी परमिट निर्गत करने के पूर्व उनसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त कर जलापूर्ति करने हेतु नहर पदाधिकारी को आदेश देंगे । इस सहमति पत्र में निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान होंगे :-

(i) जल-प्राप्त-कर्त्ता आपूरित जल का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए करेंगे, जिनके लिए उन्हें परमिट निर्गत किया जायेगा ।

(ii) जल-प्राप्त-कर्त्ता समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित जल-शुल्क के आधार पर उसके द्वारा प्राप्त जल राशि के जल-कर का भुगतान विपत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के खजाने में कर देंगे ।

(iii) प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी पूर्व माह में की गई जलापूर्ति का विपत्र तैयार कर जल-उपयोग-कर्त्ता/व्यक्ति/संस्थान को प्रत्येक अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक वशेष दूत/निबंधित डाक/फैक्स के माध्यम से प्रेषित कर देंगे ।

(iv) जल-प्राप्त-कर्त्ता का भी यह दायित्व होगा कि वे पूर्ववर्ती माह में की गई जलापूर्ति का विपत्र अनुवर्ती माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर लें और इसका भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दें ।

(v) निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं होने पर अगले 10 दिनों के अन्दर उन्हें निर्गत परमिट स्वतः रद्द मानी जायेगी और उनकी जलापूर्ति बन्द कर दी जायेगी ।

(vi) परमिट रद्द होने की स्थिति में जल-प्राप्त-कर्त्ता के जिम्मे बकाया राशि विभाग द्वारा निर्धारित दंड के साथ वसूलनीय होगी और पूरी राशि की वसूली के पश्चात् ही यदि जल-प्राप्त-कर्त्ता इच्छुक होंगे तो उन्हें फिर से जलापूर्ति हेतु परमिट निर्गत करने हेतु प्रदत्त आवेदन पत्र विचारणीय होगा।

फारम - 1

नियम 3.3.7 (क) देखें ।

..............फसल के पटवन के लिए आवेदन ।

ग्राम: .... प्रखंड .... जल-सरणी .... निर्गम द्वार संख्या ....

1- मै नाम .... बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 53(3) और इसके अधीन बनी नियमावली से आवद्ध होने का करार करता/करती हूँ और उसके अधीन आवेदन करता/करती हूँ कि नीचे उल्लिखित मेरे होल्डिंग को मिलाकर बने भू-खंड का .... फसल की सिंचाई के निमित्त, तारीख............. से तारीख .... तक उपर बताए जल सरणी से पानी दिया जाए

2. सींचा जानेवाला लगभग क्षेत्र अनुवर्त्ती अनुसूची में बताया गया है और मै पटवन के लिए मांग-पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर प्रति एकड़................. रू0 की दर से वास्तविक माप द्वारा अपने दखल में पाये जानेवाले क्षेत्र के पनवट की पूरी रकम का भुगतान करने के लिए राजी हूँ । चाहे मुझे पानी की जरूरत हो या नहीं, यह रकम भुगतान करनी होगी ।

3. मै आपूरित जल की बर्बादी या अप्राधिकृत प्रयोग को यथासंभव रोकने का करार करता/करती हूँ। भू-खंड की चौहद्दी निम्नलिखित है :-

उत्तर:-

दक्षिण:-

पूर्व:-

पश्चिम:-

अनुसूची

कृषक का नाम	फसल का विवरण	सींचे जानेवाले क्षेत्र का खेसरा सं0(प्लाट नम्बर)	क्षेत्रफल	कृषक का हस्ताक्षर	गवाह का हस्ताक्षर	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7

आवेदक का हस्ताक्षर

टिप्पणी- 0.025 हेक्टेयर से कम क्षेत्र, 0.025 हेक्टेयर माना जाएगा । पनवट-निर्धारण में पचास पैसे से कम को छोड़ दिया जायेगा तथा पचास पैसे से अधिक को एक रूपया माना जायेगा ।

फारम - 2

(धारा 57 तथा नियम 3.7.6.1 देखें)

सिंचाई को छोड़कर अन्य उपयोगों के निमित्त पानी के लिए आवेदन ।

मै/हम, अधोहस्ताक्षरी, आवेदन करता हूँ/करते है कि नीचे वर्णित कार्यो के लिये जल-सरणी/........../नदी नहर से पानी दिया जाए ।

निर्गम द्वार की स्थिति ।

नाम	निवास स्थान	किया जानेवाला कार्य	अभियुक्ति
1	2	3	4

मै/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते है कि

क- इस पत्र के स्तम्भ 3 में वर्णित उद्देश्य हेतु की गई जलापूर्ति का उपयोग केवल उसी/उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जायेगा, जिसके/जिनके लिए परमिट निर्गत की जायेगी ।

ख- निर्गत परमिट के अधीन की गई जलापूर्ति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित जल शुल्क प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी के खजाने में विपत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर कर दूँगा/दूँगी/देंगे ।

आवेदक का हस्ताक्षर

(नाम)

फारम -3

नियम 3.3.7 (ख)

.... पटवन के लिए परमिट

परमिट संख्या- ....

आवेदक का नाम- ....

आवेदन-पत्र की संख्या और तारीख ....

गाँव का नामः ....

प्रखंड का नामः- ....

सींचा जानेवाला क्षेत्र : ....

जल-सरणी का नामः- .... वि0 दु0 ....

निर्गम-द्वार सं0 : ....

सिंचाई की अवधि : ....

देय पनवटः ....

भुगतान की तारीख (मांग-पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर):- ....

यह परमिट उपर्युक्त क्षेत्र की सिंचाई के लिए बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 53 (3) के अधीन दिया जाता है । यह उक्त अधिनियम के अनुसार पारित सभी नियमों के उपबंधों के अधीन है। यह स्पष्ट रूप से सम्मत है कि पानी केवल आवेदन में उल्लिखित भूमि की सिंचाई के लिए ही दिया जाता है । पनवट वास्तविक माप द्वारा सुनिश्चित भू-खंड के भीतर आवेदक के दखल में रहने वाले क्षेत्रों पर लिया जायगा, चाहे पानी की जरूरत हो या नहीं ।

तारीख .... नहर पदाधिकारी ।

फारम -4

(धारा-57 तथा नियम 3.7.6.2 देखें)

सिंचाई को छोड़कर अन्य उपयोगों के निमित्त जल की आपूर्ति के लिए परमिट ।

आवेदन पत्र की संख्या और तारीख- ....

जलापूर्ति का उद्देश्य ....

गाँव का नाम:- ....

प्रखंड का नाम:- ....

नहर/जल-सरणी का नाम: ....

निर्गम-द्वार की स्थिति:- ....

दिए जानेवाले पानी की गहराई:- ....

औसत उपरी क्षेत्र:- ....

दिए जानेवाले पानी का घनफूट:- ....

आपूर्ति की तारीख :- ....

भुगतान की तारीख (विपत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर).......................

यह परमिट बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 की धारा 57 के अधीन दिया जाता है तथा इस परमिट के अधीन की गई जलापूर्ति का उपयोग परमिट में अंकित उद्देश्य के लिए ही किया जायेगा ।

तारीख : .... नहर पदाधिकारी

फारम - 5

नियम 3.6.1 (क) देखें

जल उपभोगता संघ द्वारा किये जाने वाले पट्टे का आवेदन

जिला....................................... थाना .... वितरणी ....

1. मै.. समिति के .... रूप में बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 के अंतर्गत बने नियमों को मानते हुए उनके अनुसार .... वितरणी से सिंचित होने वाले गाँवों जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, का प्रति वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अगले पाँच वर्षो तक सिंचाई के लिए जलापूर्ति हेतु आवेदन देता हूँ ।

2. मै इस बात पर सहमत हूँ कि खरीफ सीजन के लिए रूपये..................... प्रति हेक्टेयर, रब्बी मौसम के लिए रूपये .... प्रति हेक्टेयर एवं गर्मा के लिए रूपये .... प्रति हेक्टेयर की दर से पनवट शुल्क अपनी समिति द्वारा लाभान्वित किसानों से वसूल कर इस राशि का यथा निर्धारित अंश दो किस्तों (30 जून तक रब्बी की एवं अगले वर्ष के 31 मार्च तक गरमा एवं खरीफ का) में सरकार को जमा करूँगा । चाहे हमें पानी की जरूरत हो या नहीं, यह रकम भुगतान करनी होगी ।

3. सिंचाई के राजस्व दर में पट्टे की अवधि के बीच में यदि सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो वह मान्य होगी ।

4. उपरोक्त जल प्रभार की कुल राशि का ....% प्रतिशत भाग सरकार को जमा किया जायेगा और शेष ......% राशि समिति को सरकार द्वारा दिये गये उत्तरदायित्वों के निष्पादन के लिए (जिसका उल्लेख नियमावली में है) व्यवहार में लाया जायेगा एवं इसका उचित लेखा हमेशा उपलब्ध रखा जायेगा जिसका निरीक्षण एवं अंकेक्षण सरकार कर सकती है । अगर समिति द्वारा निर्धारित तिथि के अंदर राशि सरकार को जमा नहीं की जाती है तो अगले फसल मौसम से समिति को पानी नहीं दिया जाय ।

5. मेरे कार्यकाल के समाप्त होने पर जो उत्तराधिकारी मेरे स्थान पर निर्वाचित/मनोनीत होंगे, वे भी इन शर्तो से बंधे रहेंगे ।

नोट : सरकार द्वारा निर्धारित सिंचाई दर लागू होगा ।

अध्यक्ष/सचिव का हस्ताक्षर

समिति की मुहर

अनु0:- 1. गाँवों की सूची एवं सिंचित होने वाले जमीन का क्षेत्रफल ।

2. समिति के निबंधन के अभिलेख की प्रति ।

3. आवेदक के निर्वाचन/मनोनयन का प्रमाण-पत्र ।

सिंचित क्षेत्र का विवरण

गाँव का नाम	रेभेन्यू थाना सं0	गाँव का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	गाँव में सिंचित होने वाले भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष का नाम पता	ग्राम सिंचाई समिति के अध्यक्ष का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6

फारम - 6
नियम 3.6.1 (क) देखें
जल उपभोगता संघ को पट्टा सौंपने की अनुमति

अनुमति संख्या ....
आवेदन संख्या .... दिनांक ....
कृषक समिति का नाम ....
मौजा/परगना का नाम ....
सिंचित होने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ....
वितरण प्रणाली का नाम ....
शीर्ष नियामक की स्थिति (लोकेशन) ....
शीर्ष नियामक का पूर्ण प्रश्राव (रूपांकित) ....वास्तव में औसत ....
सिंचाई का समय 1 अप्रैल से 31 मार्च ....
पानी का दर 1. खरीफ की दर ....
2. रब्बी की दर ....
3. गरमा की दर ....

भुगतान की तिथि — खरीफ एवं गरमा के लिए अगले वर्ष के 31 मार्च तक रब्बी के लिए 30 जून तक।

समिति के सचिव/अध्यक्ष का नाम ....
पता ....
अनुमति की अवधि ....

यह अनुमति बिहार सिंचाई अधिनियम 1997 एवं उसकी धारा के अंतर्गत प्रचलित नियमावली के उपबंधों के अंतर्गत निर्गत की गई है । जलापूर्ति के लिए सिंचाई शुल्क प्रत्येक वर्ष जल की माँग नहीं होने पर भी लिया जायगा ।

हस्ताक्षर
प्रमंडलीय नहर पदाधिकारी

फारम-7
नियम 3.6 (ख)देखें ।

कृषक समिति द्वारा सिंचाई जल प्रबंधन की गतिविधियों का संपादन करने, नहर संचालन, रख-रखाव, सिंचाई शुल्क का आकलन एवं वसूली करने के लिए सहमति- ज्ञापन पत्र ।

यह सहमति-ज्ञापन कार्यपालक अभियंता .... प्रमंडल.............. ....(जो बिहार के राज्यपाल के प्रतिनिधि होंगे) और .... समिति (जो संबंधित क्षेत्र के कृषकों की प्रतिनिधि होगी) के बीच दिनांक ....को निम्नलिखित शर्त के साथ लागू किया जा रहा है ।

1.(क) इस सहमति ज्ञापन के अनुसार.. वितरणी (जो .... नहर के .... कि.मी. से निकलती है) से निकलने वाली उप वितरणी, लघु नहर और जलवाहों एवं वितरणी से सीधी निकली ग्रामीण नालों से सिंचित होने वाले कमांड क्षेत्र में नहर संचालन, जल बंटवारा, आउटलेट की उपर की नहर एवं नीचे की प्रणालियों के रख-रखाव, सिंचाई शुल्क का आकलन एवं वसूली कार्य एकरारनामा की तिथि से 5 वर्षो की अवधि के लिए .... समिति को सुपुर्द किया जाता है ।

किन्तु सिंचाई प्रणाली का स्वामित्व, जिसमें सभी सिंचाई नालियाँ, संरचनाएँ, वृक्षों तथा सभी अर्जित भूमि आदि सम्मिलित है, बिहार सरकार के अधिकार में रहेगा ।

(ख) समिति एवं जल संसाधन विभाग के प्रभारी कनीय अभियंता/अवर प्रमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक अभियंता एक साथ मिलकर वितरणी प्रणाली की नहरों, प्रत्येक संरचना, वृक्षों आदि का सर्वेक्षण करेंगे और एक स्थिति विवरणी तैयार करेंगे जिसमें इनकी वर्तमान स्थिति का सही उल्लेख होगा । यह विवरणी सहमति ज्ञापन का अंग होगा । इन सभी सम्पदा की पूर्ण सुरक्षा एवं रख-रखाव समिति का दायित्व होगा ।

2. समिति बिहार सिंचाई अधिनियम, 1997 के अधीन बनी "बिहार सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003" के अध्याधीन कार्य करेगी एवं अधिनियमन तथा नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगी ।

3. सिंचाई के राजस्व दर में पट्टे की अवधि के बीच में यदि सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो वह मान्य होगी ।

4. जल प्रभार की कुल राशि का ......% अंश सरकार को जमा किया जायगा तथा शेष ....% राशि समिति अपने उत्तरदायित्व निर्वहन हेतु अपने पास रखेगी ।

5. सरकार को जमा की जाने वाली यथा निर्धारित अंश समिति द्वारा वर्ष में दो बार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कोषागारों में निर्धारित समय पर जमा करायेगी तथा इसकी सूचना संबंधित नहर पदाधिकारी को देगी ।

6. समिति अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु यथा निर्धारित अंश खर्च करेगी तथा खर्च का विवरण समूचित ढंग से रखेगी, जिसका अंकेक्षण नियमानुसार किया जा सकेगा ।

7. समिति निबंधन अधिनियम,1860 के अधीन निबंधक को जो वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा समर्पित करेगी उसकी एक प्रति संबंधित नहर पदाधिकारी के माध्यम से जल संसाधन विभाग को भी प्रेषित करेगी ।

8. कृषक समिति एवं विभागीय पदाधिकारी के बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा एक त्रिसदस्यीय आर्बिट्रेशन समिति द्वारा किया जायगा जिसमें दोनों पक्षों द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य होंगे एवं तीसरा सदस्य दोनों पक्षों की सहमति से होगी ।

9. मात्र चालू फसल मौसम में सुचारू रूप से नहर प्रचालन हेतु मेट एवं मौसमी कर्मचारी यथावत बने रहेंगे और उनका वेतन भुगतान तत्काल विभाग करेगा । लेकिन पनवट शुल्क की वसूली के बाद कृषक समिति उपर्युक्त वेतन भुगतान पर हुए व्यय की राशि को विभाग/ सरकार को वापस कर देगी । यह राशि विभाग को

उल्लिखित ....% प्रतिशत दी जानेवाली राशि के अतिरिक्त होगी । वास्तविक हस्तांतरण के पूर्व, संबंधित कार्यपालक अभियंता कृषक समिति से इस आशय का शपथ पत्र/अन्डरटेकिंग प्राप्त कर लेंगें ।

10. प्राकृतिक आपदा यथा बाढ़ के कारण अगर नहर प्रणाली क्षत विक्षत हो जाती है तो सरकार इसके पुनर्स्थापान हेतु समुचित कार्रवाई करेगी ।

11. अन्यान्य (दोनों पक्षों की सहमति से):-

दोनों पक्ष, जिनके बीच यह सहमति ज्ञापन लागू किया जा रहा है, 'बिहार सिंचाई बाढ़-प्रबंधन एवं जल निस्सरण नियमावली 2003' के अधीन तथा इस सहमति ज्ञापन के उपरोक्त शर्तो के साथ उपरोक्त कार्य करने के लिए सहमत है । इन शर्तो में कोई भी परिवर्तन दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही किया जा सकेगा । परंतु उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व भी अपरिहार्य कारणों जैसे नहर प्रणाली का असंतोषजनक प्रबंधन, सहमति ज्ञापन के शर्तो का कृषक समिति द्वारा अनुपालन नहीं करने, लेखा पद्धति का संतोषजनक संधारण नहीं होने की परिस्थिति में सहमति ज्ञापन को समाप्त कर नहर का प्रबंधन विभाग द्वारा ले लिया जायगा ।

उसी प्रकार संबंधित कृषक संगठन द्वारा भी नहर प्रणाली का प्रबंधन कार्य छोड़ने की इच्छा व्यक्त किये जाने पर विभाग द्वारा नहर प्रणाली की प्रबंधन का भार ग्रहण कर लिया जायगा ।

मेरे कार्यकाल के समाप्त होने पर जो उत्तराधिकारी मेरे स्थान पर निर्वाचित / मनोनीत होंगे, वे भी इन शर्तो से बंधे रहेंगे ।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सचिव	कार्यपालक अभियन्ता
............................कृषक समिति	..................प्रमंडल
	जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।

4. बाढ़ प्रबंधन नियमावली

4.1 तटबंध सुरक्षा:-

4.1.1 कार्यपालक अभियंता जो अपने कार्यक्षेत्र में पड़ने वाले तटबंधो की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी है; सामान्य स्थिति में नियमित समयान्तराल पर तटबंधों का निरीक्षण करेंगे और अपने अधीनस्थ पदस्थापित सहायक अभियंता, कनीय अभियंता एवं अन्य कर्मचारियों की सहायता से तटबंधों के सेवा-पथ को सालो-भर निरीक्षण यान एवं अनुरक्षण के निमित प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों के आवागमन हेतु उपयुक्त अवस्था में रखेंगे ।

4.1.2 तटबंधों के दुर्बल स्थलों की एक सूची बनायी जायगी जिसमें दरार, कटाव, क्षरण, चूहों अथवा अन्य जानवरों द्वारा बनाये गये छिद्रों एवं अन्य क्षतिग्रस्त भागों का तटबंध पर उनकी स्थिति के अनुसार उल्लेख रहेगा । इसे कार्यपालक अभियंता संबंधित अधीनस्थ प्रभारी पदाधिकारियों को अपने आवश्यक निदेश के साथ भेज देंगे ।

प्रत्येक मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत संवेदनशील स्थलों की पहचान-सूची विभाग को उपलब्ध करायेंगे । संवेदनशील स्थलों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जायेगा एवं उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए निम्न प्रकार से विशेष दल का गठन किया जायगा ताकि बाढ़ की विभिषिका का सामना करने के लिए त्वरित कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा सके । इसकी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी को दी जायगी ।

(क) रिस्क श्रेणी '(ए)':-

इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं सरंचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर नदी का कटाव संरचना/तटबंध के टो अथवा स्लोप पर आरम्भ हो गया हो जिससे संरचना/तटबंध के क्षतिग्रस्त होने तथा उनसे संबंधित खतरे की स्थिति उत्पन्न हो गई हो ।

इस श्रेणी के स्थलों पर कटाव शुरू होते ही मुख्य अभियंता तुरन्त स्थल निरीक्षण करेंगे तथा आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने सम्बन्धी निदेश देते हुए अविलम्ब मुख्यालय को सूचना देगें । साथ ही वहाँ 24 घंटे निगरानी के लिए विशेष दल 'ए' को प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई करेंगे । इस श्रेणी के विशेष दल में एक अधीक्षण अभियंता के अधीन तीन कार्यपालक अभियंता एवं छः सहायक अभियंता/कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी होगें । एक कार्यपालक अभियंता के अधीन 2 सहायक अभियंता/कनीय अभियंता की टीम 8-8 घंटे की पाली में ऐसे स्थलों पर कार्यरत रहेंगे । बाढ़ -संघर्षात्मक कार्यो का सम्पादन मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता की देख-रेख में किया जायेगा जिसकी सूचना प्रतिदिन मुख्यालय को दी जायेगी । तीन दिनों से अधिक बाढ़-संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम 'ए' अविलम्ब उक्त स्थल के लिये प्रस्थान करेगी ।

(ख) रिस्क श्रेणी 'बी':-

इस श्रेणी के अन्तर्गत तटबंध एवं संरचना के वैसे स्थल आयेंगे जहाँ पर यह महसूस हो कि नदी, संरचना/तटबंध से कुछ दूर पर है, परन्तु इसकी कटाव की तीव्रता इस प्रकार से हो कि यदि इसे अविलम्ब नहीं रोका जायेगा तो यह संरचना/तटबंध के निकट शीघ्र पहुँच कर स्थिति को गंभीर बना दे सकती है ।

इस श्रेणी के किसी स्थल पर यदि नदी का दबाब बढ़ता है तो अधीक्षण अभियंता तुरन्त उसका निरीक्षण करेंगे तथा आवश्यकतानुसार बाढ़-संघर्षात्मक कार्य कराने सम्बन्धी निदेश देंगे, जिसकी सूचना अविलम्ब मुख्य अभियंता एवं मुख्यालय को देंगे । साथ ही 24 घंटे निगरानी के लिये विशेष दल 'बी' को प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई करेंगे । इस श्रेणी के विशेष दल में एक कार्यपालक अभियंता के अन्तर्गत तीन सहायक अभियंता एवं छः कनीय अभियंता स्तर के पदाधिकारी रहेंगे । एक सहायक

अभियंता के अधीन 2 कनीय अभियंता की टीम 8-8 घंटे की पाली में संवेदनशील स्थलों पर कार्यरत रहेगी । बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो का सम्पादन अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता की देख-रेख में कराया जायेगा जिसकी सूचना प्रतिदिन मुख्य अभियंता/मुख्यालय को दी जायेगी । ऐसे स्थलों पर तीन दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्य अभियंता स्वयं स्थल का निरीक्षण कर बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो को आवश्यकतानुसार नियंत्रित करेंगे । लगातार सात दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में मुख्यालय में गठित टीम 'बी' अविलम्ब उक्त स्थल के लिये प्रस्थान करेगी ।

(ग) रिस्क श्रेणी 'सी'

इस श्रेणी के अन्तर्गत वैसे स्थल आयेंगे जहाँ नदी अभी संरचना/तटबंध से पर्याप्त दूरी पर है लेकिन नदी-कटाव जारी हो जिससे वर्तमान में कोई खतरा तो नहीं हो फिर भी इसको रोकना आवश्यक हो ताकि साधारण बाढ़ संघर्षात्मक कार्य किए जाने से स्थल की सुरक्षा हो सके ।

इस श्रेणी के अन्तर्गत यदि किसी संवेदनशील स्थल पर नदी का दबाव बढ़ता है तो कार्यपालक अभियंता तुरन्त उसका निरीक्षण करेंगे तथा यदि आवश्यक समझें तो छोटे पैमाने के बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराने सम्बन्धी निदेश देते हुए इसकी सूचना अविलम्ब अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता/मुख्यालय को देंगे । साथ ही इसकी दिन रात निगरानी के लिए एक विशेष दल में तीन सहायक अभियंताओं के साथ छः कनीय अभियंता रहेंगे ताकि 8-8 घंटे की पाली में एक सहायक अभियंता एवं 2 कनीय अभियंता कार्यस्थल पर तैनात किये जा सकें । ऐसे स्थलों पर दो दिन से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की स्थिति में अधीक्षण अभियंता अविलम्ब स्थल का निरीक्षण कर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को नियंत्रित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्य अभियंता/मुख्यालय को देंगे । लगातार पाँच दिनों से अधिक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य जारी रहने की अवस्था में मुख्य अभियंता स्थल का निरीक्षण कर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य को नियंत्रित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्यालय को देगें । यदि आवश्यक हो तो मुख्य अभियंता स्तर पर गठित टीम 'बी' को उक्त स्थल पर प्रतिनियुक्त किया जायगा ताकि बाढ़ संघर्षात्मक कार्यो पर सतत निगरानी रखी जा सके ।

इस प्रकार तटबंधों के प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं को आकस्मिक परिस्थिति में सहायता पहुँचाने हेतु उपरोक्त तीन विशेष दल पूरी अवधि के लिए मुख्य अभियंता मुख्यालय में गठित रहेगा तथा सक्षम पदाधिकारी के आदेश पाते ही स्थल विशेष, जहाँ उनके आकस्मिक सेवा की आवश्यकता हो, प्रस्थान कर जायेगा । मुख्य अभियंता इन दलों का गठन अविलम्ब करते हुए इसकी सूचना मुख्यालय को देंगे । सभी विशेष दलों के साथ एक जीप स्वतंत्र रूप से कार्यरत रहेगी ताकि सूचना प्राप्त होते ही विशेष दल के सदस्य तुरत कार्यस्थल की ओर कूच कर सकें । इसी प्रकार विभागीय मुख्यालय में भी एक-एक विशेष दल 'ए' एवं 'बी' का गठन किया जायगा जिन्हे आवश्यकतानुसार सक्षम पदाधिकारी के निदेशानुसार स्थल-विशेष पर भेजा जायेगा ।

4.1.3 दुर्बल स्थलों एवं क्षतिग्रस्त भागों को समय पर ठीक करा लिया जायगा और निश्चित रूप से यह कार्य 31 मई के पहले पूरा कर लिया जायगा ताकि वर्षाकाल में किसी प्रकार की क्षति एवं बाढ़ की विभीषिका से बचा जा सके ।

4.2 गश्ती :-

4.2.1 बाढ़ नियंत्रण कार्यो से सम्बन्धित मुख्य अभियंताओं से यह अपेक्षा की जायगी कि बाढ़ नियंत्रण कार्यो के लिए अधीनस्थ पदाधिकारियों को मौनसून के आरंभ होते ही, गश्ती आदेश निर्गत कर देंगे जिसमें गश्ती दल के गठन एवं अधीक्षण अभियंता से कनीय अभियंता तक के पदाधिकारियों की जिम्मेवारियों और उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रकियाओं का स्पष्ट उल्लेख रहेगा । अपनायी जाने वाली प्रकिया के अन्तर्गत

इस बात का उल्लेख किया जायगा कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की आवश्यक व्यवस्था की जायगी । आपात-स्थिति में सामग्रियों, मशीनों, वाहनों एंव श्रमिकों की प्राप्ति हेतु आवश्यक निदेश भी दिये जायेगे ताकि समय पर किसी प्रकार की उलझन या अस्त-व्यस्तता न हो। मुख्य अभियंता अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को बाढ़-गश्ती-नियमों का गहराई से अध्ययन करने तथा समय-समय पर दिये गये निदेशों को त्वरित गति से कार्यान्वित करने पर विशेष बल देंगे ताकि बाढ़ नियंत्रण कार्यो का सुचारू रूप से समय पर पूरा किया जा सके ।

4.2.2 मुख्य अभियंता द्वारा निर्गत बाढ़-गश्ती-आदेश में परिभाषित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पड़नेवाले तटबंधों की सुरक्षा हेतु गहन निरीक्षण करेंगे ताकि तटबंधों में रिसाव, पाइपिंग, ओवर टौपिंग, कटाव इत्यादि के कारण उत्पन्न स्थितियों का प्रभावकारी ढ़ंग से सामना किया जा सके । किसी भी प्राकृतिक आपदा को टालने तथा उसमें किसी प्रकार की वृद्धि को रोकने के उद्येश्य से पूर्वावधानी कार्रवाई शीघ्र तथा समय पर की जायगी ताकि आक्राम्य स्थलों को सुरक्षित रखा जा सके ।

4.2.3 पूर्व के अनुभवों के आधार पर विभिन्न तटबंधों के पुराने आक्राम्य स्थलों की पहचान की जायगी । बाढ़ प्रक्षेत्र के सभी मुख्य अभियंताओं द्वारा वैसे आक्राम्य स्थलों की अद्यतन सूची बनाकर उसे सम्बन्धित अनुमंडलाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी को परिचारित किया जायगा । आक्राम्य स्थलों की सूची, नदियों तथा तटबंधों के नाम एवं दूरी के साथ पाँच प्रतियों में नक्शे पर दर्शाकर प्रत्येक वर्ष के पहली जून तक मुख्य अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग, सिंचाई भवन, पटना को भी भेजी जायगी ।

4.2.4 पूर्व कंडिका में वर्णित सभी आक्राम्य स्थलों की सुरक्षा हेतु पूर्वावधानी कार्रवाई बाढ़ आने के पूर्व अन्ततः 31 मई तक पूरी कर ली जायगी जिससे बाढ़ की स्थिति का दृढ़तापूर्वक एवं प्रभावकारी ढंग से सामना किया जा सके । अधीनस्थ पदाधिकारी किसी भी उलझन की स्थिति में अपने वरीय पदाधिकारी से अविलंब आवश्यक निदेश प्राप्त कर कार्य सम्पन्न करायेगें ।

4.2.5 विशेष रूप से आक्राम्य स्थलों एवं महत्वपूर्ण स्परों, जो नदी की तीव्र धारा का सामना विगत वर्षो की बाढ में कर चुके हों (जैसे नेपाल में कोशी एफलक्स बांध) या नये बनाये गये हों, पर रात-दिन चौकसी बरती जायगी । ऐसे आक्राम्य स्थलों एवं स्पर स्थानों पर चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारियों को पहली जून से 31 अक्टूबर के बीच स्थायी रूप से प्रतिनियुक्त किया जायगा । इन कर्मचारियों को एक पंजी दी जायगी जिसमें उनके द्वारा नदी की वर्तमान स्थिति एवं सुरक्षा कार्यो पर नदी के प्रभाव की स्पष्ट सूचना अंकित की जायगी और प्रतिवेदन प्रतिदिन पर्यवेक्षी पदाधिकारियों को भेजा जायगा । पर्यवेक्षी पदाधिकारी का दायित्व होगा कि कर्मचारियों की लगातार उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसकी सूचना उच्च पदाधिकारियों को दें । वे कार्यस्थल की पंजी पर प्रविष्टियों की सत्यता की भी जाँच कर तिथि के साथ अपना हस्ताक्षर करेंगे ।

4.3 सूचनाओं का सप्रेषण

4.3.1 कनीय अभियंता से मुख्य अभियंता स्तर तक के सभी पदाधिकारियों के बीच सूचनाओं का द्रुत गति से आदान प्रदान किया जायगा । इसी तरह क्षेत्रीय मुख्य अभियंता और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग पटना के बीच भी परस्पर सूचनाओं का त्वरित संचार होगा ।

4.3.2 अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ संवादों को आरक्षी बेतार संयंत्र/विभागीय बेतार संयंत्र/हॉट लाईन/दूरभाष/विशेष दूत द्वारा अविलम्ब सम्प्रेषित करेंगे । आपातकाल से उत्पन्न समस्याओं की जानकारी सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना को कम से कम समय में भेजने हेतु मुख्य अभियंता

समीपस्थ आरक्षी बेतार/ विभागीय बेतार/फैक्स/हॉटलाईन/दूरभाष/ विशेष दूत का उपयोग करेंगे । वे बाढ़ संघर्ष के कार्यो के लिए की गयी व्यवस्था का भी प्रतिवेदन देंगे ।

4.3.3 सभी बेतार संवाद निम्नांकित रूप में शुरू किये जायेगे:-
स्थिति प्रतिवेदन ....(यहाँ पर तटबंध का नाम)नदी का नाम ....
नदी का किनारा ....(यहाँ पर बाँया अथवा दाँया तट)स्थल.....................................
कि0मी0 .... कि0मी0 (यहाँ पर आर.डी. का जिक्र किया जायगा जिससे प्रतिवेदन संबंधित है)
गाँव के पास .... (गाँव का नाम) .... जिला .... (जिला का नाम)
उसके बाद मुख्य संवाद लिखा जायगा ।

4.3.4 केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन, पटना(Central Flood forecasting Organisation) वर्षा तथा बाढ़ की अग्रिम सूचना नेपाल तथा बिहार के बाढ़ क्षेत्रों से समय पर प्राप्त कर संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायगा ।

4.3.5 तटबंधों के संवेदनशील स्थलों पर वायरलेस सेट रखे जायेंगे ताकि सूचना प्राप्त होने के बाद आम जनता को वस्तुस्थिति से आगाह किया जा सके ।

4.3.6 बेतार संवाद हर दो घंटे पर प्रसारित करने के लिए सहायक महानिरीक्षक(वितन्तु) द्वारा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जायगा ।

4.3.7 बाढ़ के समय वायरलेस सेट की अतिरिक्त व्यवस्था की जायगी ताकि एक सेट खराब होने पर अतिरिक्त सेट काम में लाया जा सके । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई 15 जून तक सुनिश्चित कर लेंगे ।

4.3.8 दूरभाष के संबंध में मुख्य अभियंता, डाक एवं तार विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क करेंगे ताकि आक्राम्य स्थलों पर 15 जून तक दूरभाष की स्थापना सुनिश्चित हो सके । वे (मुख्य अभियंता) दूरभाष तथा बेतार संयंत्रों के लगाये जाने की सूचना केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष पटना को देंगे । वैसे पदाधिकारीगण, जो बाढ़-संघर्ष कार्यों में संलग्न हों, आवश्यकता पड़ने पर समीपस्थ थाना के बेतार तथा निकटस्थ रेलवे की टेलिग्राफ प्रणाली का भी उपयोग कर सकेंगे ।

4.3.9 कम्युनिकेशन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पर गठित वर्किंग ग्रुप की अनुशंसाओं (जो मुख्य सचिव के गैर सरकारी प्रेषण संख्या 5362 दिनांक 22.12.87 द्वारा गृह सचिव एवं आरक्षी महानिरीक्षक को भेजी गयी थी) के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार 24 घंटे वायरलेस सेट काम करता रहेगा ताकि सूचनायें केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, पटना को निरंतर प्राप्त होती रहे । सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ।

4.3.10 बाढ़ की अवधि में यदि क्षेत्रीय पदाधिकारी निरीक्षण तथा अन्य आवश्यक कार्यों से मुख्यालय से बाहर जाने वाले हों तो ऐसी स्थिति में वे 24 घंटे के लिए अपने क्रमिक कर्त्तव्य का समुचित आयोजन कर तत्संबंधी सूचना मुख्यालय में छोड़ जायेगें । इसमें यात्रा के दौरान वे अपने ठहराव-स्थल इत्यादि का उल्लेख करेंगे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल सूचना दी जा सके ।

4.3.11 जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़-सूचनाओं के संधारण के लिए बेतार संत्र लगा लिये जाने के बावजूद भी सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) पुलिस बेतार संयंत्र में संलग्न कर्मचारी को निदेश देंगे कि पुलिस बेतार

संयंत्र का उपयोग वे जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को करने दें, जिससे बाढ़ संबंधी सूचनाओं के सम्प्रेषण में सहायता मिल सके । राज्य के सभी पुलिस-बेतार-संयंत्र बाढ़ संबंधी सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्प्रेषित करेंगे ।

4.3.12 सहायक महानिरीक्षक (वितन्तु) जल संसाधन विभाग द्वारा अधियाचित बेतार संयंत्रों को लगाने तथा संचालन हेतु अपेक्षित चालकों (ऑपरेटरों) को आवश्यक साज-सज्जा के साथ निर्दिष्ट स्थलों पर भेजने पर विशेष ध्यान देंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वैसे सभी बेतार संयंत्र 15 जून से काम करना प्रारम्भ कर दें । सहायक निरीक्षक (वितन्तु) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी संयंत्र बिना किसी दोष के कार्य करें और, यदि आवश्यक हो, तो इनकी तुरत मरम्मति करा ली जाय । जल संसाधन विभाग भी इस बात का ध्यान रखेगा कि विभागीय बेतार-संयंत्र बिना किसी गड़बड़ी के कार्य करें । इन संयंत्रों में आवश्यक मरम्मति, यदि कोई हो, 15 जून तक पूरा कर लिया जायगा ।

4.4 नियंत्रण कक्षः-

4.4.1 जून की 15 तारीख से सचिवालय स्तर पर सिंचाई भवन मे केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-कोषांग कार्य करना आरम्भ कर देगा जो रात-दिन 31 अक्टूबर तक कार्यरत रहेगा । ये तिथियाँ किसी आपात बाढ़ स्थिति के अनुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है । मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना, इस बाढ़ नियंत्रण-कोषांग पर अपना सीधा नियंत्रण रखेंगे और अधीक्षण अभियंता, बाढ़-नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग इस कोषांग के पूर्ण प्रभार में रहेंगे । उन्हें यह प्राधिकार होगा कि वे बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति में किसी भी दूसरे मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता अथवा कार्यपालक अभियंता से कर्मचारी, वाहन तथा मशीनरी आदि की मदद की माँग कर सकें ।

4.4.2 इसी तरह क्षेत्रीय बाढ़-नियंत्रण-कक्ष भी इस अवधि में क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं के सीधे अधीन उनके मुख्यालय में कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, जो बाढ़ संबंधी सूचनाओं की जानकारी केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-कोषांग पटना को देगा ।

4.4.3 बाढ़-नियंत्रण-कार्यो के प्रभारी अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, यदि आवश्यक समझें, अपने मुख्य अभियंता से परामर्श कर अपने स्तर पर भी बाढ़-नियंत्रण-कक्ष संगठित कर सकते है । इसके अतिरिक्त, यदि क्षेत्रीय मुख्य अभियंता आवश्यक समझें, तो आक्राम्य स्थलों पर भी पृथक बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सकते है, ताकि संवादों का प्रवाह राज्य मुख्यालय को तीव्र गति से होता रहे ।

4.4.4 केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-कोषांग, पटना के लिए मार्ग निर्देश कंडिका 4.10 से 4.10.11 पर दर्शाया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जायगा । क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता/ कार्यपालक अभियंता के अधीन कार्यरत क्षेत्रीय बाढ़-नियंत्रण-कक्षों के संचालन हेतु केन्द्रीय बाढ़-नियंत्रण-कोषांग, पटना के ही सदृश्य संबंधित अभियंताओं द्वारा मार्ग-निर्देश तैयार किये जायेंगें ।

4.5 बाढ़-संघर्ष-सामग्रियाँः-

पर्याप्त समय रहते बाढ़-संघर्ष-सामग्रियों के उपर्युक्त स्थलों पर एकत्र कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगें । संबंधित कार्यपालक अभियंता तत्संबंधी अपनी आवश्यकताओं की सूचना पहले ही अधीक्षण अभियंता को देंगे जो उसकी सम्यक् जाँच कर अपनी अनुशंसा के साथ मुख्य अभियंता को भेजेंगे । मुख्य अभियंता अपने पूरे परिक्षेत्र में सामग्रियों की आवश्यकता की समीक्षा कर उनकी प्राप्ति एवं संचयन